बरवाला ब्रांच से दूसरे क्षेत्रों को पानी देने पर किसानों ने उपायुक्त कार्यालय घेरा

बोले- बरवाला ब्रांच से जुड़े कई गांव पानी के लिए तरस जाएंगे, हांसी को पानी देने का विरोध

संवाद न्यूज एजेंसी

हिसार में लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते समिति सदस्य व किसान। संवाद

हिसार। भाखड़ा नहर की बरवाला ब्रांच से दूसरे गांवों को पानी देने के विरोध में हिसार व भिवानी जिले के किसानों ने मंगलवार को लघु सचिवालय का घेराव किया। संयुक्त जल संघर्ष समिति और संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद के तत्वावधान में प्रदर्शन के दौरान बरवाला लिंक चैनल से अवैध कनेक्शन कर लिए जा रहे पानी को रोकने की मांग रखी गई।

कमेटी के प्रधान विजेन्द्र बैनीवाल ने कहा कि बरवाला लिंक चैनल से मंजूरशुदा पानी की क्षमता 1725 क्यूसेक है लेकिन हेड से 1500 क्यूसेक से कम पानी मिल रहा है। इस कारण हिसार-भिवानी जिले के टेल क्षेत्र में 40 से ज्यादा गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कमेटी के प्रधान आर्य ने बताया कि इस एरिया में खेती व पेयजल का एकमात्र विकल्प बरवाला लिंक चैनल है। इस नहर से जुड़ी 40 से ज्यादा छोटी नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है।

इसके बावजूद हांसी व जींद जो कि यमुना का एरिया है, उन्हें इस चैनल से पानी देने की तैयारी है। बरवाला ब्रांच से और पानी कम किया तो 100 से ज्यादा गांव पूरी तरह बंजर हो जाएंगे।

बालसमंद में भाखड़ा कमांड एरिया के किसानों ने अपने हिस्से के नहरी पानी में लगातार हो रही कटौती के विरोध में तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। दर्जनों गांवों से आए किसान, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, कारों और अन्य वाहनों से तहसील परिसर पहुंचे।

तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाखड़ा कमांड एरिया के किसानों के जल अधिकारों की अनदेखी बंद नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा।

अवैध टी कनेक्शन करने का आरोपी पूर्व सरपंच गिरफ्तार

हांसी। चानौत गांव में भाखड़ा पेयजल लाइन से अवैध तौर पर टी कनेक्शन करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सरपंच सोमेश को गिरफ्तार कर लिया है। हांसी सदर थाना पुलिस ने सोमेश को हांसी-हिसार मार्ग स्थित मय्यड़ टोल प्लाजा के नजदीक से काबू किया। ग्रामीणों की ओर से आमरण अनशन करने पर सोमेश ने यह कहते हुए पाइपलाइन से कनेक्शन करवा दिया कि सरकार ने उन्हें भेजा है। इसके बाद ग्रामीणों ने अनशन खत्म कर दिया था। ऐसे में जनस्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से टी कनेक्शन करने के आरोप में सोमेश सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। गिरफ्तारी के बाद सोमेश ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। संवाद

एचटेट की उत्तरकुंजी जारी, कल तक आपत्तियां की जा सकेंगी दर्ज

भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 की ड्राफ्ट उत्तरकुंजी जारी कर दी है।

अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जुलाई शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्तरकुंजी में दिए गए कुछ उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है क्योंकि परीक्षा के दौरान भी प्रश्नों के विकल्पों को लेकर अभ्यर्थी आपत्तियां जता चुके हैं। प्राप्त आपत्तियों पर गठित विशेषज्ञ समिति विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी। संवाद

Proclamation Under Order 5 Rule 20, CPC
In the court of Sh. Rahul, Civil Judge, Manali, District Kullu H.P.

Civil suit : 64/2025
Next date of Hearing : 25.09.2026

In the Matter of :-
Canara Bank, through Branch Manager, Branch Office Manali, District Kullu, HP
.....Plaintiff
Versus
1. M/s Sunrise Enterprises, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, HP Through its Prop Ashish Sharma 2. Ashish Sharma S/o Amar Nath Rio H. No. 36/1, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manail, District Kullu, HP Prop M/s Sunrise Enterprises
....Defendants

SUIT FOR RECOVERY

Notice to:
1. M/s Sunrise Enterprises, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, HP Through its Prop Ashish Sharma 2. Ashish Sharma S/o Amar Nath Rio H. No. 36/1, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manail, District Kullu, HP Prop M/s Sunrise Enterprises.
....Defendants

Whereas in the above noted case the plaintiff has given the proper address of the defendants as M/s Sunrise Enterprises, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, HP Through its Prop Ashish Sharma (Defendant No. 1) and Ashish Sharma Sio Amar Nath Rio H. No. 36/1, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manail, District Kullu, HP Prop Mis Sunrise Enterprises (Defendant No. 2) on which the summons were issued by this Hon'ble Court. The Defendants are deliberately evading the service of summon and as such the service cannot be affected by ordinary process. The Plaintiff therefore wants to get the service done by way of publication in the newspaper.
And whereas, this proclamation is hereby issued to the above named defendants to file objection if any, before this court on 25.09.2026 at 10:00 AM to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which ex-parte proceeding will be taken against them. Publication be done before 21.08.2026
Given under my hand and seal of this Court this 29th day of June, 2026.

Sd/- Civil Judge,
Manali, Distt. Kullu (HP)

Registered

In the Court of Mehak Gupta, Civil Judge, Court No. II Rohru District Shimla H.P.

Proclamation Under Order 5, Rule 20, CPC
(To be published on or before 20.07.2026)
Civil Suit No. 208- A of 2025

Ajay Fishta S/o Sh. Amrit Fishta R/o Village Bhalara, P.O. Kui, Tehsil Rohru, Distt. Shimla H.P.
...........Plaintiff/Applicant
Versus
1. State of H.P. through Secretary, Panchayati Raj Department Shimla Distt. Shimla, H.P.
2. The Secretary, Gram Panchayat Bhalara, Tehsil Rohru, Distt. Shimla H.P.
3. The Secretary, H. P. Board of School Education Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.
4. The Municipal Counsel Rohru, Tehsil Rohru, Distt. Shimla H.P. through its Executive Officer.
5. The Principal Aryan Public School Rohru, Distt. Shimla H.P.
6. The Principal, DAV Public School New Shimla, Distt. Shimla H.P.
7. The General Public.
......Defendants/Respondents

Civil Suit for Declaration
Notice to:-
7. The General Public.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satifaction of the court that above named defendant no.7 summons and cannot be served in ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against them to appear in this court 30-07-2026ón 10:00 A.M. to defend the case personally or through an authorised agent or pleader failing which ex-parte proceedings will be taken against them.
Given under my hand and seal of the Court this 30th day of June, 2026.

Civil Judge
Court No. II Rohru
Distt. Shimla H.P.

जांच कागजों में मंजूरी फाइलों में

जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर बिना सत्यापन आवेदन भेजने के साथ लॉगिन साझा करने का खुलासा

कुलदीप शुक्ला

चंडीगढ़। हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में संविदा कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी प्रक्रिया के दौरान गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। विभागीय मुख्यालय की जांच में पता चला कि कई आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने कर्मचारियों के आवेदन आवश्यक दस्तावेजों का समुचित सत्यापन किए बिना ही आगे भेज दिए।

कई मामलों में रिकॉर्ड का मिलान अधूरा मिला और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि भी नहीं की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्यालय ने जिन आवेदनों को आपत्तियों के साथ सुधार के लिए लौटाया था, उनमें से कई आवेदन बिना कमियां दूर किए ही दोबारा भेज दिए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि मुख्यालय की आपत्तियों की भी गंभीरता से अनुपालना नहीं की गई।

जांच के दौरान एक और गंभीर तथ्य सामने आया। कुछ कार्यालयों में डीडीओ ने जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का आधिकारिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिया था। विभाग ने इसे सूचना सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही का गंभीर उल्लंघन माना है।

अधिकृत लॉगिन का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव, गलत जानकारी अपलोड होने और जवाबदेही तय करने में कठिनाई की आशंका जताई गई है।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता देवेंद्र दहिया ने बताया कि जॉब सिक्योरिटी के सभी आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर जांच की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन करने के बाद ही आवेदन भेजे जाएं। भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पोर्टल के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Zen Life Making Life Simpler | बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम

मुख्य कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005,
अंचल कार्यालय: एससीओ 120-122, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़, टेलीफोन: 0172-2713010, 2548889, E-mail : recovery_chd@bankofmaharashtra.bank.in, cmrecovery_chd@bankofmaharashtra.bank.in,

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

संपत्तियों के निरीक्षण की तिथियां और समय: 20.07.2026 से 24.07.2026 तक, सुबह 10:00 बजे और अप. 4:00 बजे के बीच (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)।

ई-नीलामी की तिथि और समय: 27.07.2026, सुबह 11:00 बजे से रात 2:00 बजे के बीच (अंतिम 5 मिनट के भीतर बोली लगाने की स्थिति में 5 मिनट का स्वतः विस्तार होगा)

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: बैंकनेट के नियमों और शर्तों के अनुसार

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना,।
आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास गिरवी रखी गई/बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, **27.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे** के बीच **"जैसी है, जहां है", "जो भी है" और "बिना किसी रेकोर्स के"** आधार पर ई-नीलामी द्वारा बेची जाएंगी। यह नीलामी ऋणकर्ता और गारंटरों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देय राशि की वसूली के लिए की जा रही है, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। ऋणकर्ता और गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति/संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण और उन पर ज्ञात भार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा और वृद्धि भी नीचे दी गई है:

क्रम सं.	शाखा का नाम ऋणकर्ता/गारंटर	बकाया राशि (रु.)	कब्जे के प्रकार के साथ चल/ अचल संपत्ति/यों का संक्षिप्त ब्यौरा	मुकदमेबाजी	आरक्षित कीमत/जमा धरोहर राशि/बोली वृद्धि राशि
1.	**बी/ओ : सिरसा** **ऋणकर्ता : मैसर्स बिहारी जी ट्रेडिंग कम्पनी प्रोप. द्वारा श्री गौरव कुमार गोयल** पुत्र श्री कमलेश कुमार गोयल **गारंटर : (1) श्री गौरव कुमार गोयल** पुत्र श्री कमलेश कुमार गोयल **(2) श्री कमलेश कुमार गोयल** पुत्र सत नारायण **(3) श्रीमती मनी गोयल** पत्नी श्री कमलेश कुमार गोयल।	**Rs. 5,40,67,641/-** (केवल पांच करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार छः सौ इकतालीस रूपये) 26.11.2025 तक जमा लागू दर पर भावी ब्याज जमा लागतें, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि वसूली यदि है तो घटा कर।	**लॉट-1 : कोलेट्रल सिक्योर्टी:-** बिक्री विलेख सं. 4047 दिनांक 25.08.2023 द्वारा श्री कमलेश कुमार गोयल पुत्र श्री सत नारायण गोयल द्वारा स्वामित्व में 2770 वर्ग फुट माप (भू-तलः 1238 वर्ग फुट, प्रथम तल : 1238 वर्ग फुट एवं दूसरा तल-294 वर्ग फुट) का वार्ड सं.-26, पंजाब केसरी कार्यालय के समीप, गली सं.-2, कृपाल विहार कलोनी, औद्योगिक क्षेत्र-II, सिरसा एमसी सीमा सिरसा के अन्दर, तहसील व जिला सिरसा में आवासीय सम्पत्ति आईडी सं. 3RHKEYM2 (पुराना हाऊस टैक्स युनिट सं. SRS/B21/4353/1) का समान रेहन। सीमाएं इस प्रकार हैं : **पूर्व**-श्री तरूण गुप्ता की सम्पत्ति माप-55, **उत्तर**-रास्ता 22' चौड़ा, **पश्चिम**-श्री गौरव मिचनाबस वाले की सम्पत्ति माप-55, **दक्षिण**-अन्य का घर माप-30 **[सरसई परिसम्पत्ति आईडी :20008476161 1] कब्जे का प्रकार : सांकेतिक कब्जा।**	डीआरटी-II ओए नं. **2571/2025**	**लॉट-1** **Rs. 76,10,000/-** **Rs. 7,61,000/-** **Rs. 25,000/-**
			लॉट-2 : कोलेट्रल सिक्योर्टी:- बिक्री विलेख सं. 1217 दिनांक 09.05.2023 द्वारा श्री गौरव कुमार गोयल पुत्र श्री कमलेश कुमार गोयल द्वारा स्वामित्व में 775 वर्ग फुट/86.11 वर्ग गज माप का वार्ड सं.-26, पंजाब केसरी कार्यालय के समीप, गली सं.-2, कृपाल विहार कलोनी, औद्योगिक क्षेत्र-II, सिरसा एमसी सीमा सिरसा के अन्दर, तहसील व जिला सिरसा में आवासीय सम्पत्ति आईडी सं. 3RFJP7Y4 (पुराना हाऊस टैक्स युनिट सं. SRS/B21/4361) का समान रेहन। सीमाएं इस प्रकार है : **पूर्व**-20' चौड़ा रास्ता, माप 25, **उत्तर**-ईश्वर देवी पत्नी श्री हंस राज का प्लॉट, माप 31, **पश्चिम**-खाली प्लॉट माप 25, **दक्षिण**-गली सं.-22, चौड़ा माप-31 **[सरसई परिसम्पत्ति आईडी :20008475186 9] कब्जे का प्रकार : सांकेतिक कब्जा।**	डीआरटी-II ओए नं. **2571/2025**	**लॉट-2** **Rs. 23,52,000/-** **Rs. 2,35,200/-** **Rs. 25,000/-**
			लॉट-3 : कोलेट्रल सिक्योर्टी:- कनवेयंस विलेख सं. 3229 दिनांक 25.07.2008 द्वारा श्रीमती मनी गोयल पत्नी श्री कमलेश कुमार गोयल द्वारा स्वामित्व में मकान सं. 321बी, एफ-ब्लॉक, सिरसा में 4600 वर्ग फुट (बेसमेंट 820 फुट, भूतल-1440 वर्ग फुट, प्रथम तलः 1440 वर्ग फुट, दूसरा तल 990 वर्ग फुट) माप वाल वेसमेंट के साथ दो मंजिला आवासीय भवन सहित 2250 वर्ग फुट माप का एमसी सीमा सिरसा के अन्दर आवासीय सम्पत्ति अर्थात म.सं.321बी, एफ-ब्लॉक सिरसा का समान रेहन। **[सरसई परिसम्पत्ति आईडी :200068155813] कब्जे का प्रकार : सांकेतिक कब्जा।**	डीआरटी-II ओए नं. **2571/2025**	**लॉट-3** **Rs. 2,11,30,000/-** **Rs. 21,13,000/-** **Rs. 25,000/-**
2.	**बी/ओ : यमुनानगर** **ऋणकर्ता: श्री जसविन्दर कुमार** पुत्र श्री करनैल सिंह **सह-ऋणकर्ता : श्रीमती स्नेहा राम** पत्नी श्री जसविन्दर कुमार	**Rs. 18,95,141/-** (अट्ठारह लाख पचानवे हजार एक सौ इकतालिस रुपये केवल) 12.08.2024 तक जमा लागू दर पर भावी ब्याज जमा लागतें, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि। यदि वसूली है तो घटाकर	ब्लड रिलेशन के भीतर अचल संपति की ट्रांसफर डीड रजिस्ट्रेशन नं. 801 दिनांक 28.05.2021 द्वारा श्री जसविन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम पर पंजीकृत 247.61 वर्ग गज माप की नगर सीमा तहसील बिलासपुर, जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा के बाहर एच.बी. नं. 279 में स्थित जमाबंदी वर्ष 2017-18 के अनुसार खेवत नं. 1533, खतौनी नं. 1743, खसरा नं. 62//63, रकबा 8-0 कनाल का 818/16000 भाग अर्थात 8.18 मरले में स्थित आवासीय संपति का न्यायोचित रेहन। **सीमाएं निम्नानुसार :- पूर्व** : जागीर सिंह का मकान, उत्तर : गली, **पश्चिम** : संपति का भाग, **दक्षिण** : राज कुमार की भूमि **(सरसई परिसंपति आईडी :200074125107) कब्जे का प्रकार : भौतिक कब्जा।**	डीआरटी-II डायरी नं. **779/2025**	**Rs. 26,14,000/-** **Rs. 2,61,400/-** **Rs. 25,000/-**

बोलीदाताओं को निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा - **"https://baanknet.com/eauction-psb".**
https://baanknet.com/eauction-psb पर बोलीदाताओं का पंजीकरण अनिवार्य है और उन्हें आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि केवाईसी दस्तावेज़ों के सत्यापन में कम से कम चार दिन का समय लगता है। इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए समय रहते पंजीकरण करा लें और केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड कर दें।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट पर दिए गए लिंक **"https://www.bankofmaharashtra.in/properties_for_sale.asp"** और **"https://baanknet.com/eauction-psb"** पर जाएं।
कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी समाप्त होने से पहले बैंकनेट में प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। प्री-बिड ईएमडी की राशि बोलीदाता के खाते में बैंकनेट के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने और ई-नीलामी वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपडेट होने के बाद ही जमा की जाएगी। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए प्री-बिड ईएमडी राशि समय से पहले जमा कर दें।
बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के इस ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया एआरसी चंडीगढ़ जोन की मुख्य प्रबंधक अंजलि भोयर (मोबाइल नंबर 9575921929) और अंकुर चौहान (मोबाइल नंबर 83789-94757) से संपर्क करें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना।

दिनांक: 07.07.2026
स्थान: चंडीगढ़

(अंजलि भोयर), मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी,
चंडीगढ़ जोन

Scanned with CamSca